

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

नये विद्युत सम्बंध (स्थायी/अस्थायी) के लिए/स्वीकृत भार बढ़ाने अथवा घटाने/नाम परिवर्तन (स्वामी वहीं)/कनेक्शन ट्रांसफर (स्वामित्व का परिवर्तन)/ वर्तमान कनेक्शन शिफ्ट करने/ वर्तमान कनेक्शन की श्रेणी में परिवर्तन इत्यादि के लिए आवेदन पत्र

सहायक अभियन्ता()
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
..... |

1. आवेदक का नाम पिता/पति का नाम.....
 2. पूरा पता.....
 3. टेलिफोन नं. मोबाईल नं.
 4. कनेक्शन की श्रेणी
 1. घरेलू 2. अघरेलू (दुकान, कार्यालय, होटल, मन्दिर, अस्पताल, स्कूल, धर्मशाला हेतु)
 3. कृषि 4. लघु उद्योग 5. मध्यम उद्योग 6. मिश्रित भार
 7. सार्वजनिक रोशनी 8. वृहत् उद्योग
 5. आवेदक की स्थिति
 1. मकान मालिक 2. किरायेदार 3. कब्जेदार
 6. आवेदक का प्रकार
 - i. नया विद्युत संबंध किलोवाट/हा.पा./केवीए स्थाई/अस्थाई
 - ii. भार वृद्धि/ घटाना खाता सं. किलोवाट हा.पा. से
..... किलोवाट/हा.पा./संविदा मांग केवीए से
..... केवीए
 - iii. वर्तमान कनेक्शन खाता सं. शिपिटंग हेतु
..... से को
 - iv. वर्तमान कनेक्शन खाता सं. का नाम परिवर्तन
..... से को
 - v. श्रेणी परिवर्तन खाता सं. के श्रेणी परिवर्तन हेतु
श्रेणी से श्रेणी में।
 - vi. वर्तमान कनेक्शन खाता सं. जो श्री
के नाम से है उसे का ट्रांसफर करने हेतु।
 7. बैंक खाते का विवरण खाता सं. (बचत/चालू) बैंक का नाम एवं शाखा
.....
- (पासबुक के प्रथम व अन्तिम लेन-देन के पृष्ठ की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें।)

8. संलग्न दस्तावेज प्रतिष्ठापना प्रमाण—पत्र / शपथ पत्र किरायेदार/ कब्जे होने पर अनुबन्ध पत्र अथवा क्षतिपूर्ति का पत्र मकान मालिक होने पर प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज
 (नाम/श्रेणी परिवर्तन में आवश्यकता नहीं) पहचान प्रमाण पत्र
 तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ स्वप्रमाणित शपथ पत्र(कृषि) कनेक्शन के लिए
 (मुखिया का राशन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/ मतदाता का पहचान पत्र/ आयकर पेन कार्ड)
9. मीटर स्वामित्व आवेदक का / जयपुर विद्युत वितरण निगम का
10. मैंने इस आवेदन/ अनुबन्ध प्रपत्र के पीछे सभी शर्तों पढ़ एवं समझ ली है। इन सभी शर्तों में तथा विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तों एवं निब्धन-2004 () की अन्य शर्तों से मैं सहमत हूँ। इस प्रार्थना—पत्र में कोई भी गलत सूचना देने पर अनुबन्ध हट सकता है यदि विद्युत संबंध दे दिया गया है तो इस आधार पर विद्युत संबंध काटा जा सकता है। मैं अपने विद्युत फिटिंग स्वयं सुरक्षा एवं देख रेख करूँगा और सुरक्षा नियमों का पालन करूँगा।

साक्षी के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम
 पता
 दिनांक

नाम
 पता
 दिनांक

कार्यालय उपयोग हेतु :— आवेदक द्वारा जमा कराई गई (सहायता हेतु पीछे कम सं. 1 व 2 देंखे)

1. प्रार्थना पत्र शुल्क
2. विद्युत लाईन/संयंत्र/ सर्विस लाईन के लिए राशि
3. मीटर बॉक्स कीमत
4. मीटर सुरक्षा राशि
5. विद्युत उपभोग सुरक्षा राशि
 अग्रिम राशि
6. अन्य

योग

आवेदन भरने हेतु सहायक जानकारी

आवेदन/अनुबन्ध के कम संख्या 6 (i) में (आवेदित संबंध भार की गणना निम्नानुसार करें)

क्र. सं.	भार का वर्णन	संख्या	वाटेज	कुल वाटेज
1	2	3	4	5=(3X4)
1	बल्ब /फेन/ लाईट प्लग(5 एम्पीयर)		60 वॉट	
2	ट्र्यूब लाईट		40 वॉट	
3	टेलीविजन कलर/ श्वेत		100 वॉट / 60 वॉट	
4	पावर प्लग (15 एम्पीयर)		500 वॉट	
5	फ्रिज/ कूलर		250 वॉट	
6	गीजर		1500 वॉट	
7	एयर कंडीशनर 1 टन/ 1.5 टन		1500 वॉट / 2200 वॉट	

नोट:-

1. घरेलू श्रेणी के नये कनेक्शनों तथा अन्य गतिविधियों (कनेक्शन के स्थानान्तरण को छोड़कर) के लिए आवेदन शुल्क देय नहीं है।
2. भार घटाने, वर्तमान कनेक्शन शिपिटंग, कनेक्शन नाम परिवर्तन (ट्रांसफर) हेतु (पूर्व कनेक्शनधारी द्वारा सहमति होने पर) सुरक्षा राशि देय नहीं है।
3. दस्तावेज संलग्न करें—
 - i. परिवर्तित स्थान के स्वामित्व के दस्तावेज की प्रति।
 - ii. अधिष्ठापना प्रमाण पत्र (**Installation Certificate**) – परिसर में बिजली की फिटिंग विद्युत अधिनियम 2003 के अनुरूप है, का सर्टिफिकेट। ग्रामीण क्षेत्र हेतु शपथ पत्र मान्य है।
 - iii. आवेदक के किरायेदार/कब्जेदार होने पर संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज का प्रारूप— मकान मालिक द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं तो अनुबन्ध पत्र संलग्न करना होगा अन्यथा क्षतिपूर्ति बंध पत्र संलग्न करना होगा।

आवेदन/अनुबन्ध की शर्तें

1. मैं/हम विद्युतापूर्ति की मात्रा के मापन के लिए आवश्यक मीटर चाहता हूँ/चाहती हूँ। मैं/हम मेरी/हमारी परिसर पर निगम के अधिष्ठापित मीटर तथा अन्य उपस्करों को हुई किसी भी हानि क्षति के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूँगा/होंगे।

2. मैं/हम आपूर्ति की प्रारम्भण तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वास्तविक प्रयोजनार्थ विद्युतापूर्ति लेने के लिए एक वचनबद्ध हूँ/है।

(अस्थाई आपूर्ति के मामले में..... अवधि के लिए) तथा अग्रेत्तर मैं/हम उस आपूर्ति के लिए समय—समय पर प्रयोज्य टैरिफ दरों से

भुगतान के अतिरिक्त ऐसे समस्त प्रभारों जो कि हेतु शर्तों एवं निबन्धनों में अन्तविष्ट प्रावधानों या किन्ही अन्य नियमों विनियमों के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा देय होंगे, का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/है।

3. मैं/हम सहमत हूँ/है कि मुझे/हमे/मेरी/हमारी परिसर पर अधिष्ठापित सर्विस लाईन या उपस्कर से किसी अन्य आवेदक को विद्युतापूर्ति के निगम के अधिकार के सम्बन्ध में किसी भी समय कोई आपत्ति नहीं होगी।

4. मैं/हम निगम द्वारा सूचित प्रतिबन्धित घण्टों के दौरान विद्युत ऊर्जा का उपयोग न करने के लिए सहमत हूँ/है।

5. कनेक्शन दिये जाने की दशा में यह आवेदन पत्र कनेक्शन के दिये जाने की तिथि से इसे नए अनुबन्ध द्वारा प्रतिस्थापित कर दिये जाने तक या जब तक इस विद्युतापूर्ति के लिए शर्ते एवं निबन्धन-2004 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त कर दिये जाने के समय तक अनुबन्ध समझा जाएगा। वृहद औद्योगिक श्रेणी के लिए आवेदक से जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए निगम के लिए आवेदक से जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए निगम के साथ प्रपत्र (अनुलंगनक-5) में पृथक अनुबन्ध निष्पादित करेगा।

6. यह अनुबन्ध विद्युत की आपूर्ति हेतु शर्त एवं निबन्धन -2004 (संशोधित तथा समय—समय पर प्रवर्तित विद्युतापूर्ति हेतु दरें, जो इस अनुबन्ध के अंग होंगे, के समस्त प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ा व समझा जाएगा। विद्युत अधिनियम, 2003 के संबंध प्रावधान तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियम तथा विनियम अथवा उसमे अनुवर्ती संशोधन या आशोधन, प्रशासी प्रावधान होंगे।